छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 28.04.18

क्रमांक एफ 10–8/2018/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.04.2018 द्वारा लागू असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना को पूर्णतः संशोधित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम **"असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना"** होगा।
2. योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को एकमुश्त रूपये 10,000/– प्रति प्रसव सहायता देय होगी।
3. प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी।
4. प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा।
5. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

यह योजना प्रदेश में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अधिसूचित समस्त प्रवर्गों के अंतर्गत पंजीकृत महिला कर्मकारों के लिये लागू होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. हितग्राहियों को शिशु के जन्म के 90 दिवस के भीतर किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. आवश्यक दस्तावेज :– अ. जन्म प्रमाण पत्र, ब. बैंक अकाउंट विवरण ।

...2...

(द) **लाभ प्रदाय करने का प्रक्रिया** :— आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा।

(इ) **स्वीकृति का अधिकार** :— योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण** :—

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10—8/2018/16 **नया रायपुर, दिनांक** 28.04.18

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला— .... (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)।
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग